



**वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद अंतर्गत रतावा-बिरनासिल्ली मार्ग में सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य के गैर वानिकी कार्य हेतु उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व के कक्ष क्रमांक 351 रकबा 0.418 हे. एवं कक्ष क्रमांक 353 रकबा 0.410 हे.; कुल 0.828 हे. वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़, रायपुर के अभिमत से सहमत होते हुए व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 22/07/2022

स्थान: अरण्य भवन, नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़

(Rakeesh Chaturvedi) I.F.S.
Principal Chief Conservator of Forests
&
Head of The Forest Force
Deptt. of Forest & Climate Change
Aranya Bhawan, Nawa Raipur (C.G.)



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ एवं वन बल प्रमुख

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-908/ 1903

नया रायपुर, दिनांक 26/07/2022

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :- आवेदनकर्ता कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, धमतरी द्वारा धमतरी जिले के विकासखण्ड नगरी के ग्राम बिरनासिल्ली सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी तट पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु 0.828 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

— पंजीयन क्रमांक - FP/CG/Others/ 149523/ 2021

संदर्भ: — प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का पत्र क्रमांक/ व.प्रा./ प्रबंध-538/ 2526 दिनांक 04.07.2022

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत धमतरी जिले के विकासखण्ड नगरी के ग्राम बिरनासिल्ली सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी तट पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोडल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेक लिस्ट अनुसार विवरण निम्नानुसार है:-

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01) — आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद अंतर्गत रतावा-बिरनासिल्ली मार्ग में सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य के गैर वानिकी कार्य हेतु उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व के कक्ष क्रमांक 351 रकबा 0.418 हे. एवं कक्ष क्रमांक 353 रकबा 0.410 हे.; कुल 0.828 हे. वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्राप्त हुआ है।

बि.क्र. 2. प्रपत्र 1 में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 2 से 10) — उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक - FP/CG/Others/ 149523/ 2021 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 02.02.2022 के आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 18,000 रुपये कुल 24,000 रुपये जमा कराया गया है।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 11) — प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद अंतर्गत रतावा-बिरनासिल्ली मार्ग में सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य के गैर वानिकी कार्य हेतु उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व के कक्ष क्रमांक 351 रकबा 0.418 हे. एवं कक्ष क्रमांक 353 रकबा 0.410 हे. कुल 0.828 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है।

बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 12) — उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद अंतर्गत रतावा-बिरनासिल्ली मार्ग में सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य के गैर वानिकी कार्य हेतु गैर वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।

बि.क्र. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोग्राफी 1:50,000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 13-14) – प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।

बि.क्र. 6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 15-19) – उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद अंतर्गत रतावा-बिरनासिल्ली मार्ग में सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य के गैर वानिकी कार्य हेतु उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व के कक्ष क्रमांक 351 रकबा 0.418 हे. एवं कक्ष क्रमांक 353 रकबा 0.410 हे.; कुल 0.828 हे. वन भूमि हेतु आवेदित वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप संलग्न है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 20 से 27) – प्रपत्र – 4 में कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद अंतर्गत रतावा-बिरनासिल्ली मार्ग में सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व के कक्ष क्रमांक 351 रकबा 0.418 हे. एवं कक्ष क्रमांक 353 रकबा 0.410 हे. कुल 0.828 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रशासकीय लागत 8 करोड़ 22 लाख रु. बतायी गई है। वन भूमि का घनत्व 0.4 तक है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 28 से 39) – उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद अंतर्गत रतावा-बिरनासिल्ली मार्ग में सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व के कक्ष क्रमांक 351 रकबा 0.418 हे. एवं कक्ष क्रमांक 353 रकबा 0.410 हे.; कुल 0.828 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु विस्तृत टीप प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 40) – रतावा-बिरनासिल्ली मार्ग में सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व के कक्ष क्रमांक 351 रकबा 0.418 हे. एवं कक्ष क्रमांक 353 रकबा 0.410 हे. कुल 0.828 हे. प्रस्तावित वन भूमि के लिए वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 41) – प्रस्तावित रतावा-बिरनासिल्ली मार्ग में सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित वन भूमि का मांग न्यूनतम है तदाशय का उप निदेशक, उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद का न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 42 से 60) – यूजर एजेंसी का कथन है कि पर्यावरण संरक्षण, मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के बिन्दु 7 (एफ) में उल्लेखित विवरण के अंतर्गत पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का उप निदेशक, उदन्ती – सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद एवं आवेदक संस्थान का हस्ताक्षरयुक्त संयुक्त प्रतिवेदन एवं भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 14.09.2006 की छायाप्रति प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 61) – प्रस्तावित उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु वृक्षों का विदोहन नहीं हो रहा है।

बि.क्र. 13. कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 62 से 68) – प्रस्तावित रतावा-बिरनासिल्ली मार्ग में सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु चूंकि परियोजना 20.00 हे. से कम होने के कारण कास्ट बेनीफिट विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का भारत सरकार, नई दिल्ली के दिशा निर्देश दिनांक 01.08.2017 की प्रति संलग्न है।

बि.क्र. 14. – चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 69) – प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि प्रभावित नहीं होने से गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि के (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 70) – प्रस्तावित रतावा-बिरनासिल्ली मार्ग में सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु 0.828 हे. आरक्षित वन भूमि में प्रस्तावित होने के कारण गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 71 से 95 तक) – प्रस्तावित रतावा-बिरनासिल्ली मार्ग में सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु 0.828 हे. आरक्षित वन भूमि पर चूंकि गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित वन भूमि 1.00 हे. से कम है। अतः उक्त कार्य के एवज में 100 नग वृक्ष रोपित करने हेतु निर्धारित राशि का भुगतान आवेदक संस्थान द्वारा किया जावेगा। तदाशय का उप निदेशक उदन्ती-सीतानदी एवं आवेदक संस्थान का हस्ताक्षरयुक्त संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 96) – प्रस्तावित क्षेत्र के एवज में 100 नग पौधे रोपित करने हेतु उप निदेशक उदन्ती – सीतानदी टायगर रिजर्व का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया गया है जो प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 97) – उप निदेशक उदन्ती-सीतानदी टाईगर रिजर्व, गरियाबंद के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 98) – उप निदेशक उदन्ती-सीतानदी के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 99) – प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने के कारण किसी भी अधिकारियों एवं कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 100) – आवेदित वन भूमि 0.828 हे. के एवज में 100 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। अतः मुख्य सचिव के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 101) – प्रस्ताव सिंचाई से संबंधित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 102) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 103) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 104) – प्रस्तावित रतावा-बिरनासिल्ली मार्ग में सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य के गैर वानिकी कार्य हेतु कोई व्यक्ति / परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 105 से 114) – प्रपत्र-3 पर उप निदेशक, उदन्ती – सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद द्वारा दिनांक 29.03.2022 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। उप निदेशक, उदन्ती – सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद के अनुशंसा के आधार पर भाग-3 में मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व, रायपुर वृत्त द्वारा दिनांक 29.03.2022 से व्यपवर्तन प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 115) – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल या मूर्ति चिन्ह नहीं है। तदाशय का उप निदेशक, उदन्ती – सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 116 से 133) – प्रस्तावित परियोजना हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 134) – उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व हेतु गरियाबंद एवं धमतरी जिले के कुल अधिसूचित वन भूमि 2135.5412 वर्ग कि.मी. है।

बि.क्र. 30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 135) – उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व अंतर्गत 04 प्रकरण रकबा 19.440 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है।

बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 136-137) – उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व अंतर्गत इस श्रेणी के एक भी प्रकरण वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तित नहीं की गई है।

बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 138) – उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति स्थापित नहीं हो रही है।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 139) – खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 140 से 162) – आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर धमतरी द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 19.04.2022 को जारी किया गया है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 163) – प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं होने से उक्त प्रस्तावित कार्य हेतु कलेक्टर, जिला धमतरी का राजस्व वन भूमि के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 164) – आवेदक संस्थान द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 37. Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 165) – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 38. A detailed note on Soil Productivity or the lack of it (प्रस्ताव पृष्ठ 166) – प्रस्तावित 0.828 हे. वन भूमि मार्ग का चौड़ाकरण एवं उन्नयन कार्य में भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता सामान्य है। भू-क्षरण की स्थिति निर्मित नहीं होगी।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 167) वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने का प्रमाण पत्र आवेदक संस्थान द्वारा दी गई है।

बि.क्र. 40. Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ 168) – केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 169 से 171) – बिन्दु क्रमांक –2 पर विवरण दिया गया है।

बि.क्र. 42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 172-75) उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु विकासखण्ड नगरी के ग्राम बिरनासिल्ली सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निमाण के संबंध में मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक, उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व, रायपुर के अभिमत पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा दिनांक 25.01.2022 से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय की गई है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 176) – विद्युत लाईन से संबंधित नहीं होने के कारण लागू नहीं।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 177) – प्रस्ताव में अन्य कमियों का विवरण निरंक है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़, रायपुर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग-4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-

1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट 2 प्रतियों में
3. टाईम लाईन
4. प्र.मु.व. संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित भाग-4

(प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र0/भू-प्रबंध/विविध/115-908/ 1804

रायपुर, दिनांक 26/07/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
2. क्षेत्रीय निदेशक, उदन्ती – सीतानदी टायगर रिजर्व, राजा तालाब, रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. उप निदेशक, उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व, छत्तीसगढ़।
4. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.सं (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़